समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

दूरभाष सं0 06252–242700(का0)
242800(आ0), 06252–242900(फै0)
e-mail :dm-motihari.bih@nic.in

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार पटना, का पत्रांक 5461 दिनांक 05.11.2018 के द्वारा छठ पर्व के अवसर पर सुरक्षात्मक कदम उठाने हेतु दिशा–निदेश प्राप्त है। इस वर्ष छठ पर्व दिनांक 11.11.2018 को नहाय खाय से प्रारंभ होकर 12.11.2018 को खरना, 13.11.2018 को प्रथम अर्घ्य तथा 14.11.2018 को द्वितीय अर्घ्य के उपरांत संपन्न होगा।

वर्ष 2016 तथा 2017 के छठ पर्व में डूब कर मरने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन घटनाओं पर रोक लगाने एवं छठ घाटों पर सुरक्षा हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान रखना आवश्यक होगा :–

1. खतरनाक घाटो, कीचड़ फिसलन वाले घाटों, नदी के कटाव वाले घाटो को चिन्हित करते हुए सूचनापट्टिका लगाकर लोगों को वहाँ छठ करने से रोकने हेतु छठ घाट पर प्रचार–प्रसार किया जाय,
2. छठ घाटों पर सुरक्षित जलस्तर तक रस्सी का घेरा हो ताकि छठव्रती या उनके परिजन निर्धारित घेरे के आगे न जाने पाय,
3. घाटों पर एस0डी0आर0एफ0 तथा प्रशिक्षित गोताखोरों की व्यवस्था अनिवार्य रुप से सुनिश्चित किया जाय,
4. छठ घाटों पर निजी नावों का परिचालन निषिद्ध किया जाय,
5. जहाँ–जहाँ घाटों तक सुविधापूर्वक पहुँचने के दृष्टिकोण से पीपापुल या अस्थायी पुल का निर्माण किया जाता है उन्हे सुदृढ़ बना लिया जाय,
6. जिन घाटों पर भीड़ का दबाव अधिक होने की संभावना हो उन घाटो को चिन्हित कर भीड़ के नियंत्रण की उचित व्यवस्था की जाय,
7. घाटों पर उचित रोशनी की व्यवस्था तथा रोशनी की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जेनरेटर की व्यवस्था की जाय, विद्युत प्रवाह हेतु कवर्ड तार का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में खुला तार का उपयोग न हो,
8. घाटों पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, रात्रि में भी अवश्य रहेगें। सुबह में अर्घ्य के उपरांत छठ घाटों पर मेले का माहौल हो जाता है। बच्चे नदी तालाबों के किनारो जल में प्रवेश कर खेलने लगते है जिससे दूर्घटना की संभावना रहती है, उस समय निगरानी तथा सतर्कता बरता जाय और प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मी/स्थानीय गोताखोर तभी घाट छोड़े, जब सभी श्रद्धालु घाट से वापस चले जाएँ,
9. प्रतिनियुक्त दल के लिए उनके प्रतिनियुक्ति स्थल पर भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ताकि वे अपना प्रतिनियुक्ति स्थल ना छोड़ सके,
10. घाटों के निकट शरारती तथा असमाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ की जाने वाली जैसी घटनाओं से निपटने हेतु सादे परिधान में पुलिस एवं महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय,
11. घाटों के निकट चिकित्सा शिविर, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेस आपात स्थितियों से निपटने हेतु महत्वपूर्ण चिकित्सीय संसाधनों ससमय उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय,
12. प्रत्येक महत्वपूर्ण तथा भीड़ वाले घाटो पर Quick Response Team तत्पर रखा जाय,
13. महत्वपूर्ण घाटो की एण्टी–सबोटेज जाँच तथा सी0सी0टी0वी0 के माध्यम से निगरानी किया जाय,
14. किसी भी प्रकार के अफवाहों के त्वरित खंडन की सशक्त व्यवस्था की जाय,
15. आस–पास के प्रमुख अस्पतालों तथा चिकित्सकों के दूरभाष संख्या संग्रहित कर लिया जाय।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण उपरोक्त कार्यों की ससमय समुचित व्यवस्था संबंधित पदाधिकारी से अपनी देख–रेख में कराना सुनिश्चित करेगें।

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 920 /आ0प्र0 दिनांक 09/11/18

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं ससमय अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं ससमय अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.11.18

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।